न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 02/2021(2021/00002)

अनवान : —

1. राजपाल पुत्र महावीरप्रसाद जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. ज्ञानसिंह पुत्र महावीरप्रसाद जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कलावती पत्नी विजयपाल जाति छिम्पा निवासी झांसल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री मुंशीराम गोस्वामी **प्रार्थीगण**
श्री सुरेन्द्र मील **अप्रार्थीगण**

आदेश दिनांक : 09/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 36/63 के मु0न0 39 के किला न0 15, 16, 25, मुरब्बा नम्बर 40 के किला न0 11, 20, 21 कुल किता 6 की कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी प्रार्थीण की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसके चिपते ही अप्रार्थी संख्या 1 की रोही मौजा चक 1 जेएसएल के खाता सख्या 36/63 के मु0 न0 44 के किला न0 1, 2, 9 ता 12 कुल किता 6 की कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन चक 1 जेएसएल के मु0 न0 44 के किला न0 16 ता 20 में उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम स्वीकृत शुदा रास्ता से होकर अप्रार्थीया की चक 1 जेएसएल के मु0 न0 44 के किला न0 1, 10, 11 में पश्चिमी तरफ पत्थर लाईन से होकर दक्षिण से उत्तर की तरफ अपनी खातेदारी चक 1 जेएसएल के मु0 न0 40 के किला न0 21 में प्रवेश करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई चालू या स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। इसलिए अप्रार्थीया की चक 1 जेएसएल के मु0 न0 44 के किला न0 1, 10, 11 में पत्थर लाईन से एक—एक बिस्वा भूमि रास्ता के रूप में दर्ज की जावें। इसके अलावा प्रार्थी का अपने खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत अथवा चालू नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:09:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीया संख्या 1 ने

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया एवं अप्रार्थीया ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने की सहमति दी।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी राजपाल पुत्र महावीरप्रसाद जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा के बयान करवाये गये जिसमें प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी चक 1 जेएसएल सम्वत 2071–74 खाता संख्या 36/63 प्रदर्श 1, नजरी नक्शा चक 1 जेएसएल प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीया संख्या 1 के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है। राजीनामा की भावना से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है, जो सदामत से चला आ रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीया संख्या 1 ने जाहिर किया कि रास्ता के रूप में उपयोग ली जा रही भूमि संयुक्त रूप से है तथा वाहमी राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी चक 1 जेएसएल के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 21 में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीया की चक 1 जेएसएल के मु0 न0 44 के किला न0 1, 10, 11 में पत्थर लाईन के पास–पास पश्चिम तरफ दक्षिणी से उत्तर के लिये प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टेयर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) कॉलोनाईजेशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा चक 1 जेएसएल के मुरब्बा 44 के किला नम्बर 1, 10, 11 में पत्थर लाईन के पास–पास पश्चिम तरफ दक्षिणी से उत्तर के लिये प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टेयर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09/03/202[illegible] को [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:09:59 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़